विविध बैंक प्रकरण सं0 101/2016(RCMS : 2016/00292) पंजाब एण्ड सिंध बैंक, मुख्य शाखा श्रीगंगानगर बनाम 1. विजय कुमार पुत्र भागीरथ्ज्ञ निवासी मकान नम्बर 220, वार्ड नम्बर 15, पुरानी आबादी, नजदीक मदन क्लॉथ स्टोर, श्रीगंगानगर 2. भागीरथ पुत्र श्री पृथ्वीराज 3. श्रीमती गोमती देवी पत्नि भागीरथ निवासी मकान नम्बर 1027, वार्ड नम्बर 15, पुरानी आबादी, श्रीगंगानगर 4. श्रीमती पूनम कंवर पत्नि गंगा सिंह निवासी मकान नम्बर 357, सब्जी मण्डी मार्ग, वार्ड नम्बर 13, पुरानी आबादी, श्रीगंगानगर 5. गंगा सिंह पुत्र श्री जरनैल सिंह निवासी मकान नम्बर 3, सरस्वती भवन के पास, वार्ड नम्बर 34, पुरानी आबादी, श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

06.02.2019

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी बैंक की ओर से श्री जलवन्द्रि सिंह भंगू उपस्थित है। प्रार्थी बैंक के अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना की गई है कि अप्रार्थीगण विजय कुमार पुत्र श्री भागीरथ वगैरा द्वारा बैंक से प्राप्त ऋण का भुगतान न किये जाने के कारण ऋण की एवज में अप्रार्थी विजय कुमार पुत्र श्री भागीरथ एवं गोमती देवी पत्नि श्री भागीरथ ऋणी द्वारा बंधक रखी गई सम्पत्ति मकान नं 1027, वार्ड नम्बर 15, पुरानी आबादी श्रीगंगानगर प्रत्येक का 1/6 हिस्सा यानि 702 सिक्यूअर यार्ड कुल 1404 सिक्यूर यार्ड का भौतिक कब्जा प्राप्ति के लिए धारा 14 वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया हुआ है। **अब चूंकि अप्रार्थी ऋणी का खाता नियमित हो गया है इसलिए प्रार्थी बैंक किसी प्रकार से आगे कोई कार्रवाई नहीं चाहता हैं और** यदि इस प्रकरण में इसी स्टेज पर कार्यवाही समाप्त कर दी जाती है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

मैने उक्त तर्कों पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि दिनांक 24.10.2016 को एक प्रार्थना पत्र प्रार्थी पंजाब एण्ड सिंध बैंक मुख्य शाखा, श्रीगंगानगर के द्वारा धारा 14 वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अन्तर्गत श्री विजय कुमार पुत्र भागीरथ वगै. के विरूद्ध पेश कर, ऋण की सुरक्षा की

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

एवज में बंधक रखी गई सम्पत्ति मकान नं 1027, वार्ड नम्बर 15, पुरानी आबादी श्रीगंगानगर प्रत्येक का 1/6 हिस्सा यानि 702 सिक्यूअर यार्ड कुल 1404 सिक्यूर यार्ड का भौतिक कब्जा दिलवाने के लिए प्रस्तुत किया था और **अब प्रार्थी बैंक के अधिवक्ता द्वारा यह प्रार्थना की गई है कि इस प्रकरण में वे किसी प्रकार से आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहते हैं इसलिए यदि इस प्रकरण को इसी आधार पर खारिज कर दिया जाता है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।**

चूंकि अब प्रार्थी पंजाब एण्ड सिंध बैंक, मुख्य शाखा, श्रीगंगानगर इस प्रकरण में आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहता है इसलिए उनके द्वारा वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 **धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना दिनांक 24.10.2016 को इसी आधार पर खारिज किया जाता है।** आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक को भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तक़मील दाख़िल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 06.02.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शिवप्रसाद मदन नकाते)
जिला कलक्टर
श्री गंगानगर